

।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश  
(विधि अनुभाग)

लखनऊः दिनांकः अगस्त 08, 2012

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल)/डिप्टी कमिश्नर/  
असिस्टेन्ट कमिश्नर , एवं वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग,  
उत्तर प्रदेश ।

एडीशनल कमिश्नर आफ कामर्शियल आफ टैक्सेस (आई एण्ड सी) बैंगलूर के पत्र संख्या-ADCOM (I & C)/DC/CR-154/11-12, दिनांक 19-3-2012 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके राज्य के फार्म 'एफ' खो गया है ।  
अतः ऐसे फार्म 'एफ' का प्रयोग अवैध होगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

Sl.No.	Number (including code No.) of declaration Forms Lost, destroyed or stolen	Name & address of the dealer to whom declaration Forms/is/are issued by the department, with date of 'F' Form issue	Registration certificate No. of the dealer under CST Act 1956 TIN No.	The Address of the dealer to whom the declaration is/are sent	Date of issue of Forms by the dealer	Whether lost/Stolen/destroyed	Re-remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Form 'F'</b> Sl. No. <u>KA-F/01-217958</u>	M/S Heda Synthetics, No. 131 /A, 6th Main, 6th Cross, S.R. Nagar, Bangalore-560027	29600068184	M/S L. N. Polysters Ltd. Vapi, Gujarat	24-12-08.	Lost in transit	-

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर, उ०प्र० ।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 4- विधि अनुभाग/मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र/कम्प्यूटर अनुभाग को 10-10 प्रतियाँ ।

(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (विधि)वाणिज्य कर, उ०प्र० ।